



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3214/2026

Deepak Singh S/o Rajendra Singh, Aged About 29 Years, R/o Dheeraj Shah Nagar Gali No 05 Makan No 161 Ratlam Police Station Dindayal Nagar Ratlam, District Ratlam (M.p) At Present Near Majid Panchvati Chittorgarh, Police Station Sadar Chittorgarh. (Presently Lodged At District Jail Chittorgarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. S.S. Shaktawat
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 309(6), 3(5) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक मुकदमा दर्ज होना अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अंकित है। पूर्व में दर्ज मुकदमा दिनांक 15.10.2025 को निर्णीत हो चुका है। जिसमें प्रार्थी-अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। जिस निर्णय की प्रति को अवलोकन हेतु पेश किया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।



05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **दिपक सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J